राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

SHAALADARPAN

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017

दूरभाषः 0141–2700872, E-mail: shaladarpanjpr@gmail.com, rmsaccr@gmail.com

क्रमांक : रामाशिअ / जय / शालादर्पण / 2017 / SP-1 दिनांकः 07.09.2017

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि.
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय मा. शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय : पीईईओ द्वारा शाला दर्शन पोर्टल संबंधी अपडेशन कार्य के संबंध में।
संदर्भ : राज्य सरकार का पत्र क्रमांक प.15(1) / प्रा.शि. / 2017 / जयपुर / दिनांक 11.04.2017

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि सामान्यतः आदर्श विद्यालय के संस्थाप्रधान को पदेन प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) नामित किया गया है।पीईईओ का मुख्य दायित्व स्वयं के विद्यालय के अकादमिक व प्रशासनिक प्रबंधन, संचालन के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित प्रारम्भिक शिक्षा के प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रशासनिक, अकादमिक नेतृत्व एवं सम्बलन प्रदान करना है।

राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों हेतु **"शाला दर्पण"** एवं प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों हेतु **"शाला दर्शन"** पोर्टल तैयार किये गये हैं। उक्त ऑनलाइन पोर्टल्स के द्वारा राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालयों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की सूचनाएँ ली जा रही है जिनका प्रमाणिक, वास्तविक, तथ्यपरक एवं रिअलटाइम आधारित उपलब्ध होना अतिआवश्यक है। इन्ही सूचनाओं के आधार पर विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संचालन एवं नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं / लिये जा रहे हैं।

अतः शाला दर्पण व दर्शन पर सूचनाओं की विश्वसनीयता व प्रमाणिकता सुनिश्चित करने हेतु समस्त पीईईओ अपने विद्यालय की सूचनाओं के साथ–साथ अपने अधीनस्थ प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित समस्त सूचनाओं को प्रविष्ट एव अपडेट करवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों से **सूचनाएं प्रविष्ट एवं अपडेट करने** की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी शिक्षक, पीईईओ के मार्गदर्शन में संबंधित पीईईओ कार्यालय से अपने विद्यालय की समस्त सूचनाएँ शाला दर्शन पोर्टल पर अपलोड / अपडेट करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(आनन्दी)
राज्य परि. निदेशक
रा.मा.शि.प.

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त
रा.प्रा.शि.प

क्रमांक : राप्राशिप / जय / शाला दर्शन / 2017–18 / दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, शिक्षा सचिव, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निजी सहायक, अति. आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
4. अति. परि. समन्वयक,एसएसए / रमासा समस्त जिले।
5. बीईईओ, समस्त ब्लॉक को भेजकर लेख है कि अपडेशन में पीईईओ कार्यालयों को आवश्यक सहयोग प्रदान करावें।
6. पीईईओ, संबंधित ग्राम पंचायत को भेजकर लेख है कि निर्देशों की पालना सुनिश्चत करते हुए कार्य किया जावे।
7. रक्षित पत्रावली।

(आनन्दी)
राज्य परि. निदेशक
रा.मा.शि.प.

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त
रा.प्रा.शि.प

www.rajteachers.com

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

rajssashaladarshan@gmail.com फोन–0141–2711964

क्रमांक : राप्राशिप/जय/शाला दर्शन/2017–18/SP-1 दिनांक : 07.09.2017

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि.
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय मा. शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय : पीईईओ द्वारा शाला दर्शन पोर्टल संबंधी अपडेशन कार्य के संबंध में।
संदर्भ : राज्य सरकार का पत्र क्रमांक प.15(1)/प्रा.शि./2017/जयपुर/दिनांक 11.04.2017

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि सामान्यतः आदर्श विद्यालय के संस्थाप्रधान को पदेन प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) नामित किया गया है।पीईईओ का मुख्य दायित्व स्वयं के विद्यालय के अकादमिक व प्रशासनिक प्रबंधन, संचालन के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित प्रारम्भिक शिक्षा के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रशासनिक, अकादमिक नेतृत्व एवं सम्बलन प्रदान करना है।

राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों हेतु **"शाला दर्पण"** एवं प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों हेतु **"शाला दर्शन"** पोर्टल तैयार किये गये हैं। उक्त ऑनलाइन पोर्टल्स के द्वारा राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालयों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की सूचनाएँ ली जा रही है जिनका प्रमाणिक, वास्तविक, तथ्यपरक एवं रिअलटाइम आधारित उपलब्ध होना अतिआवश्यक है। इन्ही सूचनाओं के आधार पर विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संचालन एवं नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं/लिये जा रहे हैं।

अतः शाला दर्पण व दर्शन पर सूचनाओं की विश्वसनीयता व प्रमाणिकता सुनिश्चित करने हेतु समस्त पीईईओ अपने विद्यालय की सूचनाओं के साथ–साथ अपने अधीनस्थ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित समस्त सूचनाओं को प्रविष्ट एव अपडेट करवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों से **सूचनाएं प्रविष्ट एवं अपडेट करने** की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी शिक्षक, पीईईओ के मार्गदर्शन में संबंधित पीईईओ कार्यालय से अपने विद्यालय की समस्त सूचनाएँ शाला दर्शन पोर्टल पर अपलोड/अपडेट करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(आनन्दी)
राज्य परि. निदेशक
रा.मा.शि.प.

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त
रा.प्रा.शि.प

क्रमांक : राप्राशिप/जय/शाला दर्शन/ 2017–18/ दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, शिक्षा सचिव, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निजी सहायक, अति. आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
4. अति. परि. समन्वयक,एसएसए/रमासा समस्त जिले।
5. बीईईओ, समस्त ब्लॉक को भेजकर लेख है कि अपडेशन में पीईईओ कार्यालयों को आवश्यक सहयोग प्रदान करावें।
6. पीईईओ, संबंधित ग्राम पंचायत को भेजकर लेख है कि निर्देशों की पालना सुनिश्चत करते हए कार्य किया जावे।
7. रक्षित पत्रावली।

(आनन्दी)
राज्य परि. निदेशक
रा.मा.शि.प.

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त
रा.प्रा.शि.प

www.rajteachers.com